रुपये है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना पर अक्तूबर, 1992 तक 20.11 करोड़ रुपये के खर्च की सूचना दी है। चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक और यूनीसेफ की सहायता से देश भर में "शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व" (सी एस एस एम) नामक एक अन्य परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वियन के लिए शुरू की गई है । इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 370.23 लाख रुपये की राशि निश्चित की गई है । चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 5 जिलों नामत: वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, लखनऊ और बाराबंकी सहित 51 जिलों को चुना गया है ।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अन्य राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जनसंख्या परियोजनाओं की परियोजना लागत इस प्रकार है:--

परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
आई०पी०पी० --4	पश्चिम बंगाल	107.47
आई०पी०पी० --5	महाराष्ट्र (मुंबई शहर)	48.30
	तमिलनाडु (मद्रास शहर)	69.10
आई०पी०पी० --6	मध्य प्रदेश	42.57
	आंध्र प्रदेश	44.91
आई०पी०पी० --7	बिहार	88.18
	गुजरात	43.90
	पंजाब	48.66
	हरियाणा	42.42
	जम्मू व कश्मीर	51.54

"शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व" परियोजना के तहत, उत्तर प्रदेश के सिवाय अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2284.22 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं ।

गुजरात में विदेशी सहायता से चल रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम

1423. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन विदेशी सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्य में कार्यक्रमानुसार प्रगति हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) गुजरात राज्य में विदेशी सहायता से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू किए जा रहे कार्यक्रमों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) इन सभी स्कीमों के अन्तर्गत कार्य नियोजित ढंग से चल रहा है

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

I. क्षेत्र परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से भारत जनसंख्या परियोजना (आई पी पी VII)

नवम्बर, 1990 से लागू की गई है । परियोजना की अवधि पांच वर्ष है । परियोजना के अन्तर्गत गुजरात के लिए 43.90 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है । इस परियोजना में सारे गुजरात राज्य को कवर किया गया है । परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के वितरण के लिए संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना, चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्त्ताओं के ज्ञान और कुशलता को बढ़ाना तथा जन्म दर, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और रुग्णता दर में कमी लाना है ।

II. उत्कृष्ट केन्द्र

राजकीय मेडिकल कालेज, बड़ौदा में यू० एन० एफ० पी० ए० की सहायता से पुरुष और महिला नसबंदी के मानकों में डाक्टरों को प्रशिक्षण प्रदान करने और माइक्रो शल्य चिकित्सीय विधि से नस को पुनः जोड़ने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की गई है । इस तकनीक में तथा केन्द्र को चलाने के लिए कोर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें एक वरिष्ठ स्त्री रोग विज्ञानी तथा एक वरिष्ठ शल्य चिकित्सक शामिल है । माइक्रो शल्य चिकित्सीय उपकरण भी प्रदान किए गए हैं । इस केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

III. गुजरात के आदिवासी लोगों के लिए वृहद् तथा कौशल विकास परियोजना

गुजरात के डांग, भड़ौंच और पंचमहल जिलों में यू०एन०एफ०पी०ए० की सहायता से 2.29 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एक पांच वर्षीय परियोजना अप्रैल, 1991 से चलाई जा रही है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परिवार कल्याण को बढ़ावा देना और आय अर्जन के कार्यक्रमों को आदिवासी लोगों में बढ़ावा देना है । जनसंख्या शिक्षा, आदिवासी लोगों के शैक्षिक स्तरों को बढ़ाने, आय अर्जन और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित कर पर्यावरण में सुधार लाने, धुंए रहित चुल्हे और सुलभ शौचालयों तथा परिवार कल्याण कार्यकलापों की व्यवस्था भी इस परियोजना के अन्तर्गत की जाएगी । यह परियोजना ग्रामीण श्रमिक संघ वारदोली द्वारा लागू की जा रही है ।

IV. गुजरात के खेड़ा जिले के तीस गावों के दुग्ध उत्पादकों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा और सेवाएं

खेड़ा जिले के तीस गांवों में यू०एन०एफ० पी०ए० की सहायता से जनवरी, 1992 से 42 महीनों के लिए एक परियोजना लागू की गई है, जिसकी कुल लागत 68.25 लाख रुपए है । इस परियोजना का उद्देश्य दम्पति सुरक्षा की मौजूदा दर में 25 प्रतिशत सुधार लाने और परियोजना वाले गांवों में शिशु मृत्यु दर में कमी लाकर उसे अखिल भारतीय स्तर पर लाना है । यह परियोजना एक गैर-सरकारी संगठन चारुतर आरोग्य मंडल द्वारा चलाई जा रही है ।

V. उपजिला स्तर पर अखिल भारतीय प्रसवोत्तर कार्यक्रम

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के घटक उप-जिला स्तर पर अखिल भारतीय प्रसवोत्तर कार्यक्रम को देश भर में रायल गवर्नमेंट आफ नार्वे की आंशिक वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है । गुजरात राज्य में 55 उप-जिला स्तरीय प्रसवोत्तर कार्य कर रहे हैं ।

VI. शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

यह कार्यक्रम विश्व बैंक और यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य देश में निम्नलिखित के माध्यम

से शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है ।

(i) चल रहे रोग–प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जल पूरण चिकित्सा और रोग निरोध कार्यक्रमों को चलाए रखना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(ii) परम्परागत दाइयों को प्रत्येक मामले के लिए दस रुपए का बढ़ा हुआ सूचना शुल्क प्रदान कर तथा गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स प्रदान करके समुदायिक स्तर पर मातृ परिचर्या में सुधार लाना;

(iii) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए तीव्र श्वसनी संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का चरणवार ढंग से विस्तार करना ।

जहां रोग–प्रतिरक्षण, रोग निरोधक, मुखीय पुनर्जल पूरण चिकित्सा तथा सामुदायिक स्तर पर अनिवार्य मातृ परिचर्या कार्य देश के सभी जिलों में लागू किए जाने हैं, वहीं तीव्र श्वसनीय संक्रमण कार्यक्रम का विस्तार 1992–93 में 51 जिलों से आरंभ करके चरणवार ढंग से किया जाएगा । इसमें गुजरात के 2 जिले जामनगर और बड़ौदा भी शामिल हैं ।

VII. सम्पर्क महिला योजना

गुजरात के सबसे अधिक पिछड़े दो जिलों, बनासकांठा और अमरेली में 1992–93 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से सम्पर्क महिला योजना लागू की गई थी । इन स्थानों में अशोधित जन्म दर 39 या इस से अधिक थी । इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के भरपूर सहयोग से परिवार कल्याण को समुदाय आधारित कार्यक्रम बनाना था । तदनुसार सम्पर्क महिलाएं 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच के पात्र दम्पत्तियों से संपर्क करती हैं । इन सम्पर्क महिलाओं को [illegible] द्वारा सहायता दी जाती है और सामग्री तथा उस माह का सन्देश दिया जाता है । ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सम्पर्क महिलाओं को गर्भ निरोधक, मुख सेव्य गोलियां, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाती है । 2985 सम्पर्क महिलाओं का चयन कर लिया गया है और 2625 को प्रशिक्षित कर दिया गया है ।

Expert task force on Disease surveillance activities

1424. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have set up an expert task force to deal with disease surveillance activities;

(b) if so, what are the primary objectives of the task force alongwith the targets fixed; and

(c) the number of such task forces operating under the Ministry alongwith the aims and objectives and achievements, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE *IN* THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Expert Committee Report for Recognition of Eleciropathy/Electrohomoeopathy

1425. SHRI JAGANNATH SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Expert Committee constituted by Government for the recognition of Electropathy/Electrohomoeopathy submitted its report to Government on 27th August, 1991, if so, the main recommendations;

(b) whether Government extended th; period of the Committee up to 15th October, 1991 even after the receipt of the report in August, 1991;

(c) it" so, the reasons therefor: